

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर**

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**अपील/36/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)**

रामबाबू पुत्र सकटुआ जाति गोला निवासी खेरिया बिलोच तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

.....रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.05.19  
मिसिल नम्बर 07/18 उनवानी राज0 रिपोर्ट पटवारी हल्का  
मिल्सवा बनाम रामबाबू अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व  
अधिनियम 1955


उपस्थित :-

- 1-श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**


**दिनांक 27.10.2020**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 09.05.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून है जो काविल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8.17 बीघा आवादी क्षेत्र में स्थित है इसलिये पटवारी हल्का को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आवादी क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है और उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही ग्राम पंचायत ही कर सकती है। अपीलान्ट ने

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)


आराजी खसरा नम्बर 594 में किसी रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का मकान खसरा नम्बर 592 में करीब 50 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। अपीलान्ट ने मकान की भूमि वीरसिंह पुत्र गोरधन से खरीदी थी जिसके सम्बन्ध में प्रेमसिंह उर्फ पप्पू जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच ने एक इकरारनामा दिनांक 05.09.11 भी अपीलान्ट के हक में लिखकर दिया था एवं दिनांक 09.01.12 को अपीलान्ट के हक में वयनामा कर दिया था। अपीलान्ट बोनाफाइड पर्वजर है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के मकान के पास स्थित रास्ते की चौड़ाई भी अंकित नहीं की है जो कि 30 फुट है जिससे किसी को भी आवागमन में कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। गांव के रास्ते एवं पगड्डी जो पूर्वजों के समय से ही चले आ रहे हैं आज भी उसी स्थिति में मौजूद हैं इसलिये अपीलान्ट द्वारा किसी भी जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि उच्च अधिकारियों की गिरदावरी में मौके की सही पेमाईश कराई जावें तो स्पष्ट हो जावेगा कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के विरोधियों एवं उससे रजिश रखने वाले व्यक्तियों जो कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं के द्वारा की गई गलत शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध यह कार्यवाही बिना किसी आधार के की है जबकि अपीलान्ट एक गरीब एवं अशिक्षित और सीधा साधा व्यक्ति है। वास्तविक अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति जो कि प्रभावशाली और लठैत हैं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिना पैमाईश और क्षेत्राधिकार से बाहर की गई कार्यवाही खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो काविल मंसूखी है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार रूपवास से तहत पत्रावली प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट का मकान आराजी खसरा नम्बर 592 पर बना हुआ है। खसरा नम्बर 594 गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें रास्ता निकाला हुआ और आवागमन जारी है। खसरा नम्बर 594 पर वर्ष 2003-2004 में ग्राम पंचायत मिलसवां ने 12 फुट चौड़े खरंजा का निर्माण कराया है। अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 594 पर अतिक्रमण नहीं किया है। तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश किये एवं हल्का पटवारी के बिना बयान लिये तथा अपीलान्ट को जिरह करने का मौका दिये बगैर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में दिनांक 08.04.2019 को पैमाईश कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहत न्यायालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान भी नहीं लिये है। वकील अपीलान्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर. डी. 1996 पेज 525, आर.आर.डी. 1989 पेज 269, आर.आर.डी. एन.यू.सी. पेज 66 एवं डी.एन.जे. राज. 2011 (3) पेज 1052 उद्धरित की गई। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय


  
अतिरिक्त जिला कलक्टर संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय  
भरतपुर (राज.)

संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.05.2019 को पैमाईश कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहत न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश कराये एवं हल्का पटवारी के बिना बयान कराये तथा अपीलान्ट को जिरह का मौका दिये बगैर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर वर्ष 2003-2004 में ग्राम पंचायत मिल्संवा ने 12 फुट चौड़े खरंजा का भी निर्माण कराया है जिसके बाबत ग्राम पंचायत मिल्संवा का प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वकील अपीलान्ट ने फार्म नम्बर 3 के साथ वक्त सुनवाई प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये तथा प्रकरण में जांच एवं पैमाईश कराकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर